(6)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

दावा वाद संख्या – 42/2017

1. जगदीश 2. रामसहाय 3. रतन लाल 4. रामधन 5. सोनी पिसरान जयनारायण जाति मीना निवासी धाटानैनवाडी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.....वादीगण..

बनाम

1. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर
2. प्रबंधक केनरा बैंक शाखा जस्टाना तहसील बौली जिला स.मा.

..... प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री राजेश कुमार कुर्मी एडवोकेट वादीगण की ओर से

दावा घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

दिनांकः– 5.4.22

आदेश

वादीगण की और से यह दावा इस आशय का दायर किया कि ग्राम धाटा नैनवाडी की जमाबंदी संवत 2053–56 खाता सं. 95 मे वादीगण के पिता जयनारायण पुत्र जंसी मीना की खातेदारी में आराजी ख.नं. 202/2 रकबा 1 बीधा, 238/1, 151/5 रकबा 2 बीधा, 240/1 रकबा 2 बीधा 10 विस्वा, 242 रकबा 9 बीधा 14 विस्वा कुल रकबा 15 बीधा 4 विस्वा दर्ज हैं।जिस पर वह काविज हैं। मौके पर खसरा नं. 240/1 में 2 बीधा 10 विस्वा भूमि के स्थान पर एक बीधा भूमि थी तथा 151/5 पृथक होकरी डेढ बीधा अलग था। तथा डेढ बीधा भूमि ख.नं. 240/1 मे कम होकर 151/5 मे कम थी । वादीगण के पूर्वज जयनारायण ने तहसीलदार बोली से निवेदन किया जिसका खाता सं.95 पर नोट दर्ज हैं तथा जमाबंदी संवत 2053'56 के खाता सं. 95 पर उक्त आदेश दर्ज हैं। सेटिलमेंट के दौरान नई जमाबंदी मे खाता सं. 174 के खसरा नं. 820 ,952, 970, 977, 979, 980 कुल 4 किता की 3.45 है. के रूप में बनाया जिसमे डेढ बीधा कम दर्शाया

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

गया हैं शुध्दि आदेश से डेढ बीघा भूमि खसरा नं. 240/1 की कम कर दी गयी। जबकि डेढ बीघा भूमि 151/5 की नहीं जोडी गयी। इससे रकबा 0.38 है. कम हो गया हैं। इस प्रकार सेटिलमेंट विभाग से शुध्दि पत्र की पालना करना भूल गये । जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था। खसरा नम्बर 151 पुराना नम्बर था जो बहुत बडा रकबा था जिसमें हमारी डेढ बीघा अर्थात् 0.38 है0 भूमि हमारी थी जो अब नये सेटलमेंट के मिलान क्षेत्रफल के आधार पर खसरा नम्बर 454 के रूप में 0.46 है0 के रूप में बने है। जिसमें से 0.38 है0 भूमि पर हमारा कब्जा एवं अधिकार चला आ रहा है। सेटलमेंट विभाग के द्वारा की गई कम भूमि की जगह वादीगण खसरा नम्बर 454 रकबा 0.46 है0 वारानी में से 0.38 है0 भूमि अपने नाम खातेदारी करवाने के अधिकारी है। अतः अनुतोष चाहा है कि हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 0.46 है0 में से केवल 0.38 है0 भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरस्त किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से श्री नरेन्द्र गोयल दिनांक 27.11.2017 को उपस्थित होकर वकालत नामा पेश करने का समय चाहा। लेकिन वकालत नामा पेश नही किया। इस कारण प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध कमशः दिनांक 09.10.2017 एवं 10.09.2018 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

चूकि प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी की ओर से जवाव दावा पेश नही किया गया। इस कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू 1 रामसहाय पीडब्ल्यू 2 जगदीश पीडब्ल्यू 3 रामधन ली गयी। तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2053–56 खाता सं0 95 प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 जमाबंदी सवत 2063 खाता सं0 174 प्रदर्श नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5 जमावंदी सवत् 2070–73 खाता सं0 174 प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता सं0 1 प्रदर्शित करवाया। न्यायालय की ओर से तहसीलदार बौंली से मौका रिपोर्ट तलव की गई। जो तहसीलदार बौंली ने अपने पत्रांक एलआर/22/510 दिनांक 10.02.2022 से प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल है।

वहस वादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण का कथन हैं कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2028 से 2032 खाता संख्या 45 में जयनारायण पुत्र जन्सी मीना के नाम खातेदारी साविक खसरा नं. 202/2 रकबा 1 बीघा, 238/2 रकबा 2 बीघा, 151/5 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, 240/1 रकबा 1 वीघा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी। तदुपरांत मुताबिक जमाबंदी संवत 2053–2056 खाता संख्या 95 जो प्रदर्श–1 में खसरा नं. 202/2 रकबा 1 बीघा , 238/1 एवं

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

151/5 दोनो खसरा नम्बरो का संयुक्त रूप से रकबा 2 बीघा, 240/1 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, तथा खसरा नं. 242 रकबा 9 बीघा 14 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 4 विस्वा दर्ज हैं। उक्त जमाबंदी में दिनांक 18.3.06 को शुध्दि पत्र बाबत नोट दर्ज किया गया। उक्त शुध्दि पत्र के अनुसार ख.नं.202 का रकबा यथावत रखा गया तथा खसरा नं. 238/1 रकबा 2 बीघा, 151/5 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, 240/1 रकबा 1 बीघा दर्ज किया गया । इस प्रकार उक्त जमाबंदी में शुध्दि पत्र द्वारा खसरा नं. 238/1 का रकबा 2 बीघा एवं 151/5 का रकबा 1 बीघा 10 विस्वा पृथक से दर्ज करते हुये ख.नं. 240 का रकबा 1 बीघा दुरूस्त किया गया। हमने मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2 का अवलोकन किया तो उक्त आराजीयात मुतदाविया के हाल खसरा नम्बरान निम्न प्रकार कायम किये गये–

सावित ख.नं. जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं	रकबा	हाल ख.नं. जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं।	रकबा हैक्टेयर में
202/2	1 बीघा	820	0.25
238/1	2 बीघा	952 970	0.30 0.20
151/5	1 बीघा 10 विस्वा	हाल ख.नं. जमाबंदी में इन्द्राज नहीं किया।	
240/1	1 बीघा	977	0.25
242	9 बीघा 14 विस्वा	979 980	0.01 2.44
कुल रकबा	15 बीघा 04 विस्वा	कुल रकबा	3.45 है.

उक्त सारणी के अनुसार सावित खसरा नम्बरान को हाल खसरा नम्बरान से मिलान करने पर यह पाया जाता हैं सेटिलमेंट विभाग ने उक्त शुध्दि पत्र के अनुसार हाल सावित नम्बर 151/5 का खसरा नम्बर एवं रकबा का इन्द्राज जमाबंदी प्रदर्श–3 संवत 2063 खाता संख्या 174 में इन्द्राज नहीं किया । यहा यह भी स्पष्ट होता हैं कि कुल रकबा 15 बीघा 04 विस्वा का हेक्टेयर में 3.80 रकबा होता हैं जबकि वादीगण की खातेदारी में केवल 3.45 हैक्टैयर रकबा दर्ज हैं। इस प्रकार हम प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि वादीगण की खातेदारी में सावित खसरा नम्बर 151/5 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा के हाल खसरा नम्बर छोड दिये गये हैं। जिसका इन्द्राज होना न्यायहित में जरूरी हैं। अब प्रश्न यह आता हैं कि आया खसरा नम्बर 151/5 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा का हाल नम्बर क्या हैं ? वादीगण

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

ने अपने दावे में हाल साविक ख.नं. 454 रकबा 0.46 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर की खातेदारी चाहता हैं।जिसकी ताईद तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से होती हैं। जो प्रदर्श–6 के अनुसार सिवायचक भूमि हैं जो साविक खसरा नम्बर 151 मि. से हीं कायम किये गया । परिणामतः वादीगण उक्तानुसार धोषणा करवाने के अधिकारी हैं। अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादीगण दावा स्वीकार किया जाना विधिसंगत हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं।

1. ग्राम धाटा नेनवाडी तहसील बौली के हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 0.46 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार धोषित किया जाता हैं उक्त आराजी में से शेष रकबा 0.08 हैक्टैयर पूर्ववतः यथावत सिवायचक खाता सरकारी जिम्मन नं.1 में दर्ज रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

उक्त आराजीयात मुतदाविया पर रहन बाबत नोट यथावत दर्ज रहेगा।

डिक्री जारी हों।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाईमाधोपुर

निर्णय आज दिनांक 5.4.22 .....को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाईमाधोपुर